

मध्यप्रदेश विधान सभा

जान्म तात्त्विकीय फरवरी-अप्रैल, 1994 सत्र
दिनिक कार्य सूची

कृष्णनगर मणिरुपाली ग्राम चालीसा राज्याधिकार एवं विदेशी व्यापार के लिए निष्ठा और उत्तमता के साथ संभाल रखने वाली एक विदेशी व्यापारिक समूह द्वारा आयोजित एक बड़ा बाजार है। इस बाजार का नाम "मंगलवार, दिनांक 1 मार्च, 1994 (काल्युन 10, 1915)" है। इस बाजार का उद्देश्य विदेशी व्यापारिकों के लिए एक व्यापक व्यापार सेवा का प्रोत्साहन करना है। इस बाजार की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

२. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, राज्यमंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश निर्यात निगम मर्यादित का पंचहवां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे दिनांक 31 मार्च, 1992 को समाप्त हुए वर्ष के लिये पटल पर रखेंगे।

(2) श्री बी. आर घावड, बन मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य बन विकास निगम लिमिटेड का म्यारहवां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे वर्ष 1985-86 पटल पर रखेंगे।

३. नियम 138 (1) के अधीन व्यानाकरण

(1) सर्वश्री बुद्धसेन पटेल, आबूलाल मौर, चन्द्रप्रकाश बाजपेई, सदस्य, खिलासपुर के सरदार वल्लभ भाई पटेल चिकित्सालय में दुष्प्रत्य के दौरान एक महिला की मृत्यु होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेगे।

(2) डा. गोविन्द सिंह, सदस्य, मन्दसौर के स्लेट पेंसिल उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों की हो रही असमय मृत्यु की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

4. लोक लेखा समिति के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचित

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :—

"सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा नियमाबली के नियम 221 के उपनियम (3) के द्वारा अपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये लोक लेखा समिति के सदस्य होने के लिए अपने में से 15 सदस्यों के निवाचन के लिये अग्रसर हों।"

5. प्राक्कलन समिति के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन

श्री अजय मुशारान, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :—

“ सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा नियमाबली के नियम 223 के उपनियम (2) के द्वारा अपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये प्राक्कलन समिति के सदस्य होने के लिए अपने में से 15 सदस्यों के निर्वाचन के लिये अग्रसर हों। ”

6. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन

श्री अजय मुशारान, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :—

" सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा नियमावली के नियम 223-ख के उपनियम (1) के द्वारा अपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये सरकारी उपकरणों संबंधी समिति के सदस्य होने के लिए अपने में से 15 सदस्यों के निर्वाचन के लिये अप्रसर हों।"

ମେବ୍ ନାଥଙ୍କୀ ଟ୍ରେସର୍ସ୍

7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिये बीस सदस्यों का निर्वाचन

श्री कांतिलाल भूरिया, आदिम जाति, अनुसूचित जाति मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे : -

" सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा नियमावली के नियम 234-ख के उपनियम (1) के द्वारा अपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य होने के लिए अपने में से 20 सदस्यों के निर्वाचन के लिये (जिसमें क्रमशः पांच-पांच सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के हों) अप्रसर हों।"

8. राज्यपाल के अभिभावन पर श्री जालमसिंह पटेल, सदस्य झारा
दिनांक 21 फरवरी, 1994 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर अर्था-

“राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया उसके लिये मध्यप्रदेश विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यंत कृतज्ञ हैं”।

श्रीदिल्ला राजकुमार
भोपाल : सचिव,
दिनांक : 28 फरवरी, 1994 मध्यप्रदेश विधान सभा